संख्या 248 / XXVII (7)27(16)/2012

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त पौड़ी गढ़वाल / कुमायूँ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकरी, उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0)अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांक 07 सितम्बर, 2012

विषय :– **राज्याधीन लोक सेवाओं में "कार्य नही तो वेतन नहीं" सिद्धान्त लागू किया जाना।**

महोदय,

कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 906 / XXXV(2) / 2012–55 (47) / 2004 टीसी, दिनांक 7 सितम्बर, 2012 द्वारा दिनांक 10 सितम्बर, 2012 से अपने कार्य पर उपस्थित न होने वाले कार्मिकों को "कार्य नहीं तो वेतन नहीं" सिद्धान्त के आधार पर कार्य पर अनुपस्थित मानकर वेतन न दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या 259 / XXVII (6) / 2011, दिनांक 5 जुलाई, 2011 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में वेतन आहरण हेतु कोषागारों / उपकोषागारों को प्रपत्र–2 पर कार्मिकों की अनुपस्थिति / उपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्मिक वास्तव में कार्यलय में उपस्थित थे एवं उनके द्वारा शासकीय कार्य सम्पादित किया गया। समस्त आहरण वितरण अधिकारियों / कार्यालयाध्यक्षों को प्रपत्र–2 मे इस आशय की सूचना प्रतिमाह भेजनी अनिवार्य होगी। गलत सूचना देने के कारण जो अधिक भुगतान होगा उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी / कार्यालयाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। सूचना न प्राप्त होने की स्थिति में कोषागार / उपकोषागार द्वारा भुगतान रोक दिया जायेगा। नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्षों के स्तर पर कार्मिको की उपस्थिति का लगातार पर्यवेक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

इस कम में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 1202 / XXXV (2) / 2009 दिनांक 29 अक्टूबर, 2009, का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों, निगमों, निकायों आदि में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीया,

(राधा रतूडी)
सचिव, वित्त।

संख्या 248 /XXVII (7) 27(16)/ 2012, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त वित्त नियंत्रक / वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड एकक सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव, वित्त।

(1)

संख्या 906/XXX(2)/2012–55(47)/2004 टी.सी.

प्रेषक,

डी.के. कोटिया,
प्रमुखसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 07 सितम्बर, 2012

विषय : राज्याधीन लोक सेवाओं में 'कार्य नहीं तो वेतन नहीं' सिद्धान्त लागू किया जाना।

महोदय,

प्रोन्नति में आरक्षण के विरोध एवं समर्थन में विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा दिनांक 03 सितम्बर, 2012 से प्रारम्भ की गयी कार्य बहिष्कार/हड़ताल के क्रम में शासन द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी संगठनों के साथ वार्ता के उपरान्त कतिपय शासनादेश निर्गत करते हुए सभी विभागों को विभागीय संगठनात्मक ढ़ाँचों में रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आहूत करने तथा आवश्यकतानुसार निःसंवर्गीय पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही शीघ्र सम्पादित करने के निर्देश दिए गए हैं।

2 शासन द्वारा निर्गत किए गए उक्त शासनादेशों के आलोक में प्रोन्नति में आरक्षण के विरोध अथवा समर्थन में आन्दोलनरत मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों द्वारा अपनी हड़ताल दिनांक 06 सितम्बर, 2012 को स्थगित करने का निर्णय लेकर तत्सम्बन्धी सूचना शासन को भी दी गयी है। तदक्रम में अधिकांश कार्यालयों में कार्मिक दिनांक 07 सितम्बर, 2012 को कार्य पर वापस आ चुके हैं, किन्तु शासन के संज्ञान में यह आया है कि अभी भी कुछ कार्मिक कार्य पर उपस्थित नहीं हुए हैं अथवा ऐसे अनुपस्थित कार्मिक कार्य पर उपस्थित हो चुके अन्य कार्मिकों के द्वारा कार्य सम्पादन में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

3. उपर्युक्त परिस्थितियों में, शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि दिनांक 10 सितम्बर, 2012 को जो कार्मिक अपने कार्य पर उपस्थित नहीं होंगे, उन्हें 'कार्य नहीं तो वेतन नहीं' सिद्धान्त के आधार पर कार्य पर अनुपस्थित मानकर उन्हें वेतन नहीं दिया जायेगा तथा सेवा में व्यवधान मानते हुए कर्मचारी आचरण नियमावली/कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियमावली के संगत प्राविधानों के अनुसार उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने पर भी विचार किया जायेगा।

भवदीय,

(डी.के. कोटिया)
प्रमुख सचिव।

संख्या 906 (1)/xxx(2)/2012–55(47)/2004 टी.सी. तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल को महामहिम श्री राज्यपाल के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा को मा. अध्यक्ष, विधान सभा के संज्ञानार्थ।
4. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
6. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड।
9. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–6
संख्या–259/xxvii(6)/2011
देहरादूनः दिनांकः 05 जुलाई, 2011

कार्यालय ज्ञाप

प्रायः यह देखा जा रहा है कि कार्यालयाध्यक्षों/आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा शासनादेश संख्याः 235/21/वि0अनु0–1/2001 दिनांकः 06 दिसम्बर, 2001 के अनुपालन में प्रपत्र–2 पर कार्मिको की अनुपस्थिति विषयक सूचना सम्बन्धित कोषागारों को उत्तरदायी रूप से नहीं भेजी जा रही हैं। साथ ही नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्षों के स्तर पर इसका प्रभावी अनुश्रवण नहीं किया जा रहा हैं। इस विषय पर शासनादेश संख्याः 212/वि0अनु0–4/2004 दिनांकः 09 जुलाई, 2004 के प्रस्तर–3 में व्यवस्था दी गई है कि "कार्यालयाध्यक्ष/विभागीय आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रति माह वेतन अथवा तत्सम्बन्धी भत्ते में होने वाले परिवर्तन तथा उपस्थिति आदि की सूचना नियमित रूप से कोषागारों को प्रेषित की जाये। यदि सूचना में कोई परिवर्तन न हो तब भी "शून्य" सूचना समय से कोषागार को अवश्य प्रेषित की जाये। यदि दो माह तक आहरण वितरण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा शून्य सूचना भी नहीं भेजी जाती है तब ऐसे प्रकरण में कोषागार तब तक भुगतान रोक देंगे जब तक सूचना न प्राप्त हो जाए।"

सामान्य सिद्धान्त यह है कि किसी भी कार्मिक को वेतन तभी देय होता है जब उसके द्वारा राजकीय कार्य सम्पादित किया जाता है। दूसरे अर्थों में "नो वर्क नो पे सिद्धान्त" सभी राजकीय कार्मिकों पर लागू होता है। इस क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन आहरण हेतु कोषागारों को प्रपत्र–2 पर कार्मिकों की अनुपस्थिति/उपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्मिक वास्तव में कार्यालय में उपस्थित थे एवं उनके द्वारा शासकीय कार्य सम्पादित किया गया है। भविष्य में समस्त आहरण वितरण अधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों को प्रपत्र–2 में इस आशय की प्रतिमाह सूचना भेजनी अनिवार्य होगी। गलत सूचना देने के कारण जो अधिक भुगतान होगा उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाई होंगे। सूचना न भेजने की स्थिति में कोषागार भुगतान रोक देगा। नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्षों के स्तर पर कार्मिकों की उपस्थिति का लगातार पर्यवेक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

ये आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

भवदीय,
(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

पत्र संख्याः–259/xxvii(6)/2011 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्रीजी, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
5. प्रधान महालेखाकार, लेखा परीक्षा, देहरादून।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागों के वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
10. समस्त विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,
(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या 1202 / xxx(2) 2009

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
4. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 29 अक्टूबर 2009

विषयः– कर्मचारियों / शिक्षकों की हड़ताल / कार्य बहिष्कार के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रायः यह देखा गया है कि कर्मचारी संगठन अपनी मागों को लेकर हड़ताल / कार्य बहिष्कार करते है। कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल / कार्य बहिष्कार के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ हैः–

(1) "कार्य नही तो वतन नहीं" के सिद्धान्त के अनुरुप हड़ताल / कार्य बहिष्कार पर जाने वाले कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किया जाय। प्रत्येक माह हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों का विवरण भी कोषागार को उपलब्ध कराया जाय ताकि तद्नुसार वेतन की कटौती की जा सके।

(2) समस्त कार्यालयों में उपस्थिति की कड़ाई से जांच की जाय तथा जो कर्मचारी उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करने के उपरान्त कार्य नहीं करते है उन्हें हड़ताल में सम्मिलित माना जाय।

(3) अपरिहार्य परिस्थतियों को छोड़कर किसी कर्मचारी को सामान्य रुप में अवकाश स्वीकृत न किया जाय।

(4) जिन सेवाओं में 'अत्यावश्यक सेवाओं' का अनुरक्षण अधिनियम के प्रावधान प्रभावी है, वहां उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाय।

(5) कार्य पर आने वाले कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान की जाय।

2– कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
मुख्य सचिव